	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 21, मंगलवार, *शाके* 1945-दिसम्बर 12, 2023 *Agrahayana 21, Tuesday , Saka 1945- December 12 , 2023*	

भाग 5 (घ)

भारत के निर्वाचन आयोग की विज्ञप्तियां आदि।

(निर्वाचन विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 12, 2023

संख्या एफ 3(1)(19)प्रथम/निर्वा/2023/डी–320 :–भारत निर्वाचन आयोग की निम्न अधिसूचना सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है।

प्रवीण गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

<u>दिनांक 12 दिसम्बर, 2023</u>
21 अग्रहायण, 1945 (शक)

अधिसूचना

सं0492/राज0-वि0स0/2023:- यतः, राजस्थान की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन कराने के प्रयोजन से राजस्थान के राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 के अधीन जारी और राज्य के राजपत्र के असाधारण अंक में दिनांक 30 अक्तूबर, 2023 को प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा राजस्थान राज्य में 03-करणपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा की है कि उक्त विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचन कर दिया जाए;और

यतः 03-करणपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल इंडियन नेशनल कॉंग्रेस द्वारा खडे किए गए अभ्यर्थी, श्री गुरमीत सिंह कुन्नर की दिनांक 15 नवम्बर, 2023 को मृत्यु हो गई थी ; और

यतः इसके परिणामस्वरूप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 52 की उप धारा (1)(ग) के प्रावधानों के अनुसार उक्त निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी ने बाद में, अधिसूचित की जाने वाली तिथि तक के लिए मतदान को स्थगित कर दिया था और इस तथ्य की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेज दी थी।

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के साथ पठित धारा 52 की उप धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा-

(अ) 03- करणपुर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में उक्त निर्वाचन के संदर्भ मेः-

(क) आयोग के दिनांक 12.12.2023 के नोटिस सं. 492/राज.-वि.स./2023 के अनुसरण में केवल इंडियन नेशनल कॉंग्रेस द्वारा प्रयोजित अभ्यर्थी द्वारा नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख।	19 दिसम्बर, 2023 (मंगलवार)
(ख) आयोग के दिनांक 12.12.2023 के नोटिस सं. 492/राज.-वि.स./2023 के अनुसरण में केवल इंडियन नेशनल कॉंग्रेस द्वारा प्रयोजित अभ्यर्थी द्वारा नामांकन की संवीक्षा की तारीख।	20 दिसम्बर, 2023 (बुधवार)
(ग) आयोग के दिनांक 12.12.2023 के नोटिस सं. 492/राज.-वि.स./2023 के अनुसरण में केवल इंडियन नेशनल कॉंग्रेस द्वारा प्रयोजित अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख।	22 दिसम्बर, 2023 (शुक्रवार)
(घ) वह तारीख जिसको मतदान करवाया जाएगा।	05 जनवरी, 2024 (शुक्रवार)
(ङ) वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन पूरा कर लिया जाएगा।	10 जनवरी, 2024 (बुधवार)

नियत करता है।

(आ) **07:00 बजे पूर्वाहन से 06:00 बजे अपराहन** तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान उक्त निर्वाचन के लिए पैरा (अ) में विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान करवाया जाएगा।

आदेश से,

सुमन कुमार दास,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated: 12th December, 2023
21 Agrahayana, SAKA 1945

NOTIFICATION

No. **492/RJ-LA/2023**:- **WHEREAS,** for the purpose of holding of General Election to the Legislative Assembly of Rajasthan, the Governor of Rajasthan had, by Notification issued under section 15 of the Representation of the People Act, 1951, (43 of 1951) and published in an Extraordinary issue of the State Gazette dated 30th October, 2023, called upon the 03-Karanpur Assembly Constituency in the Rajasthan State to elect member to the said Legislative Assembly and;

WHEREAS, one contesting candidate, namely, Shri Gurmeet Singh Kooner from 03-Karanpur Assembly Constituency, set up by the Indian National Congress, a recognized National Party, died on 15th November 2023; and

WHEREAS, in consequence thereof and in accordance with the provisions of sub-section (1)(c) of section 52 of the Representation of the People Act, 1951, the Returning Officer for the said constituency adjourned the poll to a date to be notified later, and reported the fact to the Election Commission;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 52 read with section 30 and section 56 of the said Act, the Election Commission of India, hereby-

(A) **APPOINTS,** with respect to the said election from 03-Karanpur Assembly Constituency :-

a) Last date for making nominations by the candidate sponsored by the Indian National Congress only, in pursuance of the Commission's Notice number 492/RJ-LA/2023, dated 12th December, 2023	**19th December, 2023 (Tuesday)**
b) Date for the scrutiny of nominations of the candidate sponsored by the Indian National Congress only, in pursuance of the Commission's Notice number 492/RJ-LA/2023, dated 12th December, 2023	**20th December, 2023 (Wednesday)**
c) Last date for the withdrawal of candidature by the candidate sponsored by the Indian National Congress only, in pursuance of the Commission's Notice number 492/RJ-LA/2023, dated 12th December, 2023	**22nd December, 2023 (Friday)**
d) Date on which a poll shall be taken	**05th January, 2024 (Friday)**

e) Date before which the election shall be completed	**10th January, 2024 (Wednesday)**

(B) **Fixes the hours** from **7.00 A.M. to 6.00 P.M**., as the hours during which the poll shall be taken on the date specified in para (A) for the above said election.

By Order,

SUMAN KUMAR DAS,
SECRETARY,
ELECTION COMMISSION OF INDIA .

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।